राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2047/2009 भयराम सिंह गुर्जर	1. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।	22.12.2009	श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	2048/2009 कृष्ण लाल मीणा			

आदेश की दिनांक : 24.05.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः उक्त दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2047/2009 भयराम सिंह गुर्जर बनाम मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.10.2008 को अपास्त फरमाया जावे और दिनांक 13.10.2008 से अपीलार्थी को वाहन चालक पर नियमित नियुक्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी उसी तिथी से दिये जावे, जिस तिथी उससे कनिष्ठ कार्मिक को नियुक्त किया गया है।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी पिछडा वर्ग श्रेणी का है और दिनांक 21.10.1988 को हैल्पर मस्टर रोल आधार पर नियुक्त हुआ था और उसे दिनांक 21.10.1990 से अर्द्धस्थायी किया गया। अपीलार्थी को जिला दौसा से ड्राइविंग लाइसेन्स जारी किया गया है, जिसका नम्बर 144635 है और वर्ष 1999 से अपीलार्थी विभागीय वाहन चला रहा है, जिसका अनुभव प्रमाण

पत्र कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग उपखंड दौसा द्वारा दिनांक 01.07.2008 को जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 03.09.2008 को परिपत्र जारी किये गये, जिसमें विस्तृत जानकारी जो दिनांक 31.03.1994 तक हैल्पर के पद पर नियुक्त किये गये हैं और बाद में नियमित रूप से विभागीय वाहन चला रहे हैं। उनकी सूचना मांगी गई और यह भी सूचना मांगी गई कि 5 वर्ष का विभागीय वाहन चलाने का अनुभव रखता हो। कार्यालय सहायक अभियंता द्वारा अपीलार्थी के वाहन चलाने का अनुभव प्राप्त के संबंध में सूचना प्रेषित की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो कार्य प्रभारित हैल्पर के रूप में कार्य कर रहे थे और विभागीय वाहन चला रहे थे, उन्हें नियमित वाहन चालक के रूप में आदेश दिनांक 13.10.2008 के द्वारा वेतन श्रृंखला 3050–4590 में नियुक्त किया गया। परंतु अपीलार्थी के मामले में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया और उससे कनिष्ठ कार्मिकों को वाहन चालक के पद पर नियमित सेवा का लाभ दे दिया गया। जबकि अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार था। इस प्रकार अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को वाहन चालक के पद पर नियमित किया जाना एवं समस्त लाभ प्रदान किया जाना और अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा जाना नियम एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.10.2008 को अपास्त फरमाया जावे और दिनांक 13.10.2008 से अपीलार्थी को वाहन चालक पर नियमित नियुक्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी उसी तिथी से दिये जावे, जिस तिथी उससे कनिष्ठ कार्मिक को नियुक्त किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जबाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 21.05.1985 को दैनिक वेतन भोगी के रूप में अकुशल सहायक के पद पर हुई और दिनांक 01.04.1988 से अपीलार्थी को कार्य प्रभारित सहायक के पद पर लगाया गया तथा आदेश दिनांक 12.05.1998 के द्वारा दिनांक 01.01.1998 से नियमित किया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति सहायक के पद पर हुई व अपीलार्थी ने मुख्य कार्य सहायक पद पर ही किया। वाहन चलाने का अनुभव सूचना जो निर्धारित प्रपत्र में सहायक अभियंता द्वारा भिजवाई गई, वह सही नहीं होने के

कारण उसे तत्कालीन अधीशाषी अभियंता के द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा वाहन चालक का विकल्प दिनांक 24.10.1999 का दिया गया है। जबकि नियमित वाहन चालकों की निकाली गई सूची में दिनांक 31.03.1994 से 31.03.1999 तक नियमित वाहन चालक के पद पर कार्य करने वाले सहायकों को ही लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.10.2008 से मांगी जा रही वेतन श्रृंखला 3050–4590 उसे दिनांक 01.01.1998 से दी जा रही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी पिछडा वर्ग श्रेणी का है और दिनांक 21.10.1988 को हैल्पर मस्टर रोल आधार पर नियुक्त हुआ था और उसे दिनांक 21.10.1990 से अर्द्धस्थायी किया गया। अपीलार्थी वर्ष 1999 से विभागीय वाहन चला रहा है, जिसका अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग उपखंड दौसा द्वारा दिनांक 01.07.2008 को जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 03.09.2008 को परिपत्र जारी किये गये, जिसमें विस्तृत जानकारी जो दिनांक 31.03.1994 तक हैल्पर के पद पर नियुक्त किये गये हैं और बाद में नियमित रूप से विभागीय वाहन चला रहे हैं। उनकी सूचना मांगी गई और यह भी सूचना मांगी गई कि 5 वर्ष का विभागीय वाहन चलाने का अनुभव रखता हो। कार्यालय सहायक अभियंता द्वारा अपीलार्थी के वाहन चलाने का अनुभव प्राप्त के संबंध में सूचना प्रेषित की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो कार्य प्रभारित हैल्पर के रूप में कार्य कर रहे थे और विभागीय वाहन चला रहे थे, उन्हें नियमित वाहन चालक के रूप में आदेश दिनांक 13.10.2008 के द्वारा वेतन श्रृंखला 3050–4590 में नियुक्त किया गया। परंतु अपीलार्थी के मामले में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया और उससे कनिष्ठ कार्मिकों को वाहन चालक के पद पर नियमित सेवा का लाभ दे दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को वाहन चालक के पद पर स्थायी नहीं करने तथा उक्त पद पर नियमित सेवा का लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को कार्य प्रभारित सहायक के पद पर लगाया गया तथा आदेश दिनांक 12.05.1998 के द्वारा

दिनांक 01.01.1998 से नियमित किया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति सहायक के पद पर हुई व अपीलार्थी ने मुख्य कार्य सहायक पद पर ही किया। वाहन चलाने का अनुभव सूचना जो निर्धारित प्रपत्र में सहायक अभियंता द्वारा भिजवाई गई, वह सही नहीं होने के कारण उसे तत्कालीन अधीशाषी अभियंता के द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा वाहन चालक का विकल्प दिनांक 24.10.1999 का दिया गया है। जबकि नियमित वाहन चालकों की निकाली गई सूची में दिनांक 31.03.1994 से 31.03.1999 तक नियमित वाहन चालक के पद पर कार्य करने वाले सहायकों को ही लिया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.10.2008 में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपर्युक्त तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2047/2009 भयराम सिंह गुर्जर बनाम मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 2048/2009 कृष्ण लाल मीणा में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)